न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/10/2022	2022/43	25–05–2022	13–07–2023

01– सुभाषचंद पुत्र स्व0 रामसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)

– अपीलाण्ट

बनाम

01– हंसराज पुत्र रामनाथ,
02– रामकंला पत्नि स्व0 औमप्रकाश पुत्रवधु रामनाथ,
03– संजय पुत्र स्व0 औमप्रकाश पौत्र रामनाथ,
04– मोहित पुत्र स्व0 औमप्रकाश पौत्र रामनाथ, जातियान अहीर निवासीगण ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)
05– तहसीलदार मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)

–असल रेस्पोडेन्ट

06– सतीश कुमार पुत्र स्व0 रामसिंह,
07– सावित्री पत्नि स्व0 अभय सिंह पुत्रवधु स्व0 रामसिंह,
08– प्रदीप पुत्र स्व0 अभय सिंह पोत्र स्व0 रामसिंह,
09– विजय पुत्र स्व0 अभय सिंह पौत्र स्व0 रामसिंह,
10– सुमन पुत्री स्व0 अभय सिंह पौत्री स्व0 रामसिंह,
11– निर्मला पत्नि स्व0 जसवन्त पुत्रवधु स्व0 रामसिंह,
12– राहुल पुत्र स्व0 जसवन्त पौत्र स्व0 रामसिंह,
13– निशा पुत्री स्व0 जसवन्त पौत्री रामसिंह जातियान अहीर निवासीगण ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 07.06.1994 नामान्तकरण संख्या 482 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर

उपस्थितः–
01–श्री रामनिवास सैनी –वकील अपीलान्ट
02–श्री दिनेश यादव –वकील रेस्पोडेन्ट
03–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.1994 नामान्तकरण संख्या 482 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर। जिसके द्वारा नामान्तकरण में वर्णित विवादित आराजीयात को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

लगायत 4 के पति व पिता औमप्रकाश के पक्ष में विधि विरूद्व दर्ज कर स्वीकार किया गया है। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण में वर्णित विवादित आराजीयात में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्टान का 1/2 भाग में से 1/2 भाग यानि 1/4 हिस्सा है, जिनका हिस्सा गलत व बेजा तौर पर कब्जे व मौके के खिलाफ तथा साबिक रिकार्ड के खिलाफ असल रेस्पोडेन्टान संख्या 1 व असल रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 के पति व पिता औमप्रकाश के पक्ष में विधि विरूद्व दर्ज कर निर्णित किया गया है। जिसके कारण अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के हक हकूक प्रभावित होते है, वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर की साबिक आराजी खसरा न0 207 रकबा 01 बीधा 03 बिस्वा व 208 रकबा 01 बीधा 02 बिस्वा, जिसके हाल आराजी खसरा न0 288 रकबा 0.2900 है0 व 289 रकबा 0.2800 है0 बने है। जिस आराजी के 1/2 भाग में से 1/2 भाग यानि 1/4 हिस्सा के अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के पिता व ससुर व दादा रामसिंह पुत्र मामराज गैर खातेदार थे। जिनके हिस्से की आराजी का नामान्तकरण आलोच्य आज्ञा के जरिये असल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 लगायत 4 के पति व पिता ओमप्रकाश के हक में दर्ज होकर स्वीकार किया गया है। जिस आज्ञा व इंतकाल से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है। जो कि निम्न आधारों पर स्वीकार होने तथा आलोच्य आज्ञा व नामान्तकरण अपास्त होने योग्य है। आलोच्य आज्ञा व नामान्तकरण विधि विरुद्ध, कब्जे व मौके तथा साबिक रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण अपास्त होने योग्य है। विवादित अपीलाधीन नामान्तकरण आराजी में से 1/2 भाग में से 1/2 भाग यानि 1/4 हिस्सा के गैर खातेदार अपीलाण्ट तथा तरतीबी रेस्पाडेण्टान के पिता, ससुर व दादा रामसिंह पुत्र मामराज अहीर गैर खातेदार काबिज काश्तकार थे। जिनके नाम गैर खातेदार काबिज काश्तकार की हैसियत से जमाबन्दी संवत 2048 में रिकार्ड है। असल रेस्पाडेण्ट संख्या 1 व 2 लगायत 4 के पति व पिता ओमप्रकाश के नाम विवादित इंतकाल सनद पट्टा संख्या 35 दिनांक 17.09.1982 के आधार पर दर्ज व मंजूर किया गया है। लेकिन उक्त पट्टे में इंतकालाधीन आराजी के खसरा नंबर दर्ज ही नहीं है। ऐसी अवस्था में भी आलोच्य आज्ञा गलत दर्ज व मंजूर किया गया है। इंतकालाधीन आराजी के 1/2 भाग में से 1/2 भाग यानि 1/4 हिस्सा पर पहले अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पाडेण्टान के पिता, ससुर व दादा रामसिंह पुत्र मामराज गैर खातेदार काबिज काश्तकार थे। जो जीवन पर्यन्त गैर खातेदार के रूप में काबिज रहकर काश्त करते रहे तथा उनके समय से व उनके बाद से अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पोडेण्टान काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। आज भी अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पाडेण्टान का ही कब्जा है। असल रेस्पाडेण्टान के पिता व पति का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। लेकिन आलोच्य आज्ञा पारित करने व नामान्तकरण दर्ज व मंजूर करने से पूर्व कब्जे व मौके की कोई जांच नहीं की गई। आलोच्य आज्ञा अपीलाण्ट की गैर जानकारी व गैर मौजूदगी में पारित की गई है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व में नहीं होने के कारण अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। जिसमें अपीलाण्ट की कोई लापरवाही नहीं रही है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.05.2022 को हुई, जब अपीलाण्ट पटवारी हलका के पास

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु वास्ते नकल जमाबन्दी प्राप्त करने के लिए गया, तो उन्होंने बताया कि आराजी तुम्हारे नाम नहीं है। जिस पर उसी दिन नकल के लिए आवेदन किया गया तथा नकल प्राप्त कर व अपील हेतु खर्चे का आवश्यक इंतजाम कर अपील तारीख जानकारी से बिना देरी के व अंदर अवधि प्रस्तुत है। अपील पेश करने में जो देरी हुई है, वह उक्त कारण से हुई है, जो कि नेकनियती व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल–माफी व म्याद में मुजरा दिए जाने योग्य है। जिस हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 कानून मियाद अधिनियम पृथक से पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावे, तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 07.06.1994 नामान्तकरण संख्या 482 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि मुताबिक जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2035 ग्राम भनगडा ठेठर में खातेदार मामराज पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी सानोली के नाम उक्त आराजी गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी, आराजी खसरा न0 207 रकबा 1 बीधा 3 बिस्वा, व आराजी खसरा न0 208 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा किता 2 रकबा 2 बीधा 5 बिस्वा आराजी औमप्रकाश व हंसराज को उनके दादा मामराज पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी सानोली द्वारा अपने पौते की सेवा से खुश होकर उन्हे दान में दी गयी है, रजिस्टर्ड हिबैनामा की छायॉ प्रतियॉ भी पेश की गयी है, जिसके आधार पर तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा सनद पट्टा संख्या 35 दिनांक 17.09.1982 जारी किया गया तथा जारी सनद पटटा के आधार पर ही तहत अदालत द्वारा निर्णय दिनाक 07.06.1994 नामान्तकरण संख्या 482 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर विधिवत जॉच कर रेस्पोडेन्टान के पक्ष में जारी सनद पटटा संख्या 35 पुर्नवास (159) दिनाक 17.09.1982 के आधार पर दर्ज कर स्वीकार किया गया है, अपील अपीलान्टान सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा निर्णय दिनाक 07.06.1994 नामान्तकरण संख्या 482 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर विधिवत जॉच कर रेस्पोडेन्टान के पक्ष में जारी सनद पटटा संख्या 35 पुर्नवास (159) दिनाक 17.09.1982 के आधार पर दर्ज कर स्वीकार किया गया है, अपील अपीलान्टान सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्टान/रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश 07.06.1994 बाबत नामान्तकरण संख्या 482 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर। के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 24.05.2022 को पेश की गयी है, जो करीब 28 वर्ष अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है। विलम्ब की अवधि असाधारण नही है, अपीलान्ट ने अपील अत्याधिक विलम्ब से पेश की है, तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नही किया अपील किये जाने में हुये विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन-प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है, जो अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियादी अधिनियम में स्पष्ट नही किया गया है। हम अपील का निस्तारण केवल दफा 5

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

मियाद के बिन्दू पर ही निस्तारण किया जान उचित नही समझते है, बल्की अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझते है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.1994 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 05.05.2022 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर की साबिक आराजी खसरा न0 207 रकबा 01 बीधा 03 बिस्वा व 208 रकबा 01 बीधा 02 बिस्वा, जिसके हाल आराजी खसरा न0 288 रकबा 0.2900 है0 व 289 रकबा 0.2800 है0 बने है। जिस आराजी के 1/2 भाग में से 1/2 भाग यानि 1/4 हिस्सा के अपीलान्टान व तरतीबी रेस्पोडेन्टान के पिता व ससुर व दादा रामसिंह पुत्र मामराज गैर खातेदार थे। जिनके हिस्से की आराजी का नामान्तकरण आलोच्य आज्ञा के जरिये असल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 लगायत 4 के पति व पिता ओमप्रकाश के हक में दर्ज होकर स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेन्ट का कथन है कि जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2035 ग्राम भुनगडा ठेठर में खातेदार मामराज पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी सानोली के नाम उक्त आराजी गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। आराजी खसरा न0 207 रकबा 1 बीधा 3 बिस्वा, व आराजी खसरा न0 208 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा किता 2 रकबा 2 बीधा 5 बिस्वा आराजी औमप्रकाश व हंसराज को उनके दादा मामराज पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी सानोली द्वारा अपने पौते की सेवा से खुश होकर उन्हे दान में दी गयी है तथा हिबैनामा के आधार पर तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा सनद पट्टा संख्या 35 दिनांक 17.09.1982 जारी किया गया लेकिन उक्त हिबैनामा रजिस्टर्ड नही है, जिससे उक्त हिबैनामा को स्वीकार करना उचित नहीं समझते है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 07.06.1994 नामान्तकरण संख्या 482 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर रेस्पोडेन्टान के पक्ष में गलत दर्ज कर स्वीकार किया गया है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.1994 बाबत नामान्तकरण संख्या 482 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर जिला अलवर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

(सत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)